भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1330
दिनांक 03.12.2024 को उत्तरार्थ

ग्रामीण स्थानीय निकाय से साथ उत्पाद शुल्क की साझेदारी

1330. श्री के. गोपीनाथ:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकिः

क्या सरकार द्वारा प्राप्त उत्पाद शुल्क का कोई हिस्सा भी ग्रामीण स्थानीय निकाय के साथ साझा किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो राज्य-वार इसके क्या कारण है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

महोदय, वित्त आयोग को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (खख) के तहत "पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों" की अनुशंसा करने का अधिकार प्राप्त है।

केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय विभिन्न राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय को अनुशंसा करता है। ये सिफ़ारिशें वर्तमान वित्त आयोग द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों पर आधारित हैं जो कि अनुबंध-क के रूप में रखा गया है।

ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान (2021-26) का राज्य-वार आवंटन अनुबंध-ख में है।

केंद्रीय वित्त आयोग का गठन केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसकी अनुशंसा भी वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की जाती हैं। पंचायती राज मंत्रालय को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए आवंटित राशि की अनुशंसा प्राप्त होती हैं।

*****

अनुबंध-क

(दिनांक 03.12.2024 को लोक सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1330 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध)

पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अनुदान जारी करने के लिए पात्रता मानदंड

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मूल (अबद्ध) अनुदान की किस्तों को जारी करने के लिए दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं।

ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए पात्र माना जाएगा, यदि वे विधिवत रूप से गठित हैं, अर्थात यदि विधिवत निर्वाचित निकाय मौजूद हैं, सिवाय उन राज्यों/क्षेत्रों के जहां संविधान का भाग IX लागू नहीं होता है। यदि सभी निकाय विधिवत रूप से गठित नहीं हैं, तो अनुदान केवल विधिवत रूप से गठित निकायों के लिए वास्तविक आवंटन/अनुपात के आधार पर राज्य को जारी किया जाएगा।

1. ई-ग्राम स्वराज में ग्रामीण स्थानीय निकायों के जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी अपलोड करना।
2. ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदानों के लेन-देन के लिए अनिवार्य रूप से ई-ग्राम स्वराज– पीएफएमएस पर ऑनबोर्ड होना होगा।
3. ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष के अनंतिम खाते और पिछले वर्ष से पहले के वर्ष के लेखापरीक्षित खातों को अनिवार्य रूप से तैयार करना और ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।
4. राज्य के पास चौदहवें वित्त आयोग अनुदानों का अप्रयुक्त शेष विचाराधीन किस्त के10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
5. पिछले वर्ष के दौरान जारी किए गए अबद्ध (अनटाइड) अनुदानों का कम से कम50% उपयोग किया गया है (केवल वित्तीय वर्ष की दूसरी किस्त जारी करने के लिए वैध)।
6. जिन राज्यों ने ऐसा नहीं किया है, उन्हें राज्य वित्त आयोग का गठन करना होगा, उनकी सिफारिशों पर कार्य करना होगा और मार्च 2024 तक या उससे पहले राज्य विधानमंडल के समक्ष की गई कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकरण ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा। मार्च 2024 के बाद, ऐसे राज्यों को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा, जिन्होंने राज्य वित्त आयोग और इन शर्तों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

अनुबंध-ख

(दिनांक 03.12.2024 को लोक सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1330 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध)

ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान (2020-21 से 2025-26) का राज्यवार आवंटन

क्र.सं.	**राज्य**	**आवंटन(2020-21 से 2025-26)* (रुपये करोड़ में)**
1.	आंध्र प्रदेश	12856
2.	अरूणाचल प्रदेश	1131
3.	असम	7857
4.	बिहार	24579
5.	छत्तीसगढ़	7123
6.	गोवा	368
7.	गुजरात	15650
8.	हरियाणा	6193
9.	हिमाचल प्रदेश	2102
10.	झारखण्ड	8274
11.	कर्नाटक	15756
12.	केरल	7972
13.	मध्य प्रदेश	19511
14.	महाराष्ट्र	28540
15.	मणिपुर	867
16.	मेघालय	893
17.	मिजोरम	455
18	नागालैण्ड	611
19.	ओडिशा	11058
20.	पंजाब	6798
21.	राजस्थान	18915
22.	सिक्किम	207
23.	तमिलनाडु	17666
24.	तेलंगाना	9048
25.	त्रिपुरा	937
26.	उत्तर प्रदेश	47764
27.	उत्तराखण्ड	2813
28.	पश्चिम बंगाल	21611
	कुल	297555

* नोट: इसमें 2020-21 की अंतरिम अवार्ड अवधि के लिए 60750 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है।

*****